मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शासन

डी० क्रमांक 663 /835/1(3)/73 भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर, 1973

प्रति,

शासन के समस्त विभाग ।

विषयः- कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत करने पर कार्रवाई

=*=

अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने से वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत उचित माध्यम से करने पर क्या कार्यप्रणाली अपनाई जाए, यह प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन था । इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी अधीनस्थ अधिकारी ने अपने से वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध स्पष्ट तथा निश्चित आरोप लगाते हुए उचित माध्यम से शिकायत पेश की है तो संबंधित प्राधिकारी को उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए, बशर्ते कि उस शिकायत में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया (Prima Facie) कार्रवाई की आवश्यकता या गुंजाइश हो । यदि जांच में आरोप सत्य पाए जाते है तो आरोपित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए, किन्तु यदि आरोप गलत तथा दुर्भावनापूर्ण पाया जाए तो उस कनिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध उसके द्वारा घोर दुराचरण के लिए विभागीय कार्रवाई की जाए ।

2/ उपर्युक्त पैरा में " उचित माध्यम से" शब्दों का तात्पर्य ऐसी शिकायत से है जो ऐसे अधिकारी के मार्फत पेश की गई हो जिसका कि शिकायतकर्ता अधिकारी सीधा अधीनस्थ हो । यदि इस प्रकार की शिकायत की अग्रिम प्रति विभागाध्यक्ष के मार्फत शासन को पेश की जाती है, तो उसे भी " उचित माध्यम से " पेश की गई मानकर उपर्युक्त प्रकार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(बलदेव सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी० क्रमांक 664 /835/1(3)/73 भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर, 1973

प्रतिलिपि :-

1- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

2- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
सचिव राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

3- राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

4- मुख्य मंत्री /समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/ समस्त उप मंत्रिगण
के निजी सचिव/ निजी सहायक

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव.

::श्रीवास::
1/11/73